

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 320]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 16, 2015/भाद्र 25, 1937

No. 320]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 16, 2015/BHADRA 25, 1937

भारतीय विधिज्ञ परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2015

9 अगस्त, 2015 को आयोजित सामान्य परिषद् की बैठक की कार्यवृत्त के अंश

मद संख्या 279/2015

संकल्प सं 190/2015.— माननीय सदस्यों ने मैट्रिक दसवीं/ बी.ए. स्नातक और विधि स्नातक सभी अधिवक्ताओं की शिक्षा का ब्यौरा होन [की] □ वश्यकता का एहसास किया है और इसलिए परिषद् क [फार्म] ए और नए फार्म ई में पुरान [उत्तंभ] 6 को निम्न स्तंभ स [बिंदल] दिया गया है:—

6. विधि स्नातक इंस्टीट्यूशन और विश्वविद्यालय का नाम जहां से अधिवक्ता ने किया है
1. मैट्रिक/स्नातक 10वीं स्कूल का नाम / बोर्ड क [माम] / वर्ष
2. स्नातक स्तर की पढ़ाई कॉल [ज] का नाम / विश्वविद्यालय / वर्ष
3. विधि स्नातक कॉल [ज] का नाम / विश्वविद्यालय / वर्ष

अशोक कुमार पाण्डेय, संयुक्त सचिव

[विज्ञापन—III/4/असा./96/15(208)]

BAR COUNCIL OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th September, 2015

Extracts of the Minutes of the**General Council Meeting held on 9th August, 2015****Item No. 279/2015**

Resolution No. 190/2015.—Hon'ble Members have realized the necessity of getting the details of all the Advocates with regard to their matriculation/10th, graduation and LL.B. degrees and therefore, the Council resolves that in FORM A and new Form E, the old column 6 will be replaced by the following column:—

6. Name of Institution & University from where advocate has done his

- (i) Matriculation/10th Name of School/Board/Year of passing
- (ii) Graduation Name of College/University/Year of passing
- (iii) LL.B.Name of College/University/Year of passing

ASHOK KUMAR PANDEY, Jt. Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./96/15 (208)]